न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 04/13 **निर्णय दिनांकः—16.05.2019**

1. मसूक खॉ पुत्र अल्लादिवाया निवासी राणेवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. आशिकखॉ पुत्र अल्लादिवाया निवासी राणेवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 04—04—2001
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः—

1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 04—04—2001 जिसके द्वारा अपीलांट/वादी को खातेदारी के स्थान पर गैरखातेदार की धोषणा की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी के पिता का वादग्रस्त भूमि पर संवत् 2012 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आराजी जैर संवत् 2038 में उपनिवेशन में चली जाने के कारण उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज कर दी गई।

जबकि उपनिवेशन विभाग में जाने पर वादग्रस्त भूमि को गैरखातेदार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा वादी की शहादत व कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट/वादी को वादग्रस्त भूमि का गैरखातेदार धोषित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट/वादी के पिता के नाम से ग्राम राणेवाला के पूर्व खसरा नम्बर 266 जिसका बाद में खसरा नम्बर 89/1 बनें, जिसमें 50 बीघा भूमि उपनिवेशन में आने बाद चक 10 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 103/40 के किला नम्बर 1, 6 ता 25, मुरब्बा नम्बर 103/31 में किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 24 व 24, मुरब्बा नम्बर 103/32 के किला नम्बर 5, 6, 15, मुरब्बा नम्बर 103/48 के किला नम्बर 8 ता 13, 19 ता 23 इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि वा अपीलांट/वादीगण के पिता संवत् 2012 से पूर्व खातेदार दर्ज थे जोकि संवत् 2028 तक बतौर खातेदार चले आ रहे थे। उक्त भूमि पर तभी से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आराजी जैर को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु व वादग्रस्त भूमि को अपने नाम से खातेदारी दर्ज कराने हेतु अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त दावें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव माना गया है कि आराजी जैर प्रारम्भ से ही वादीगण के कब्जे काश्त में रही व इस तथ्य को जवाबदावे में माना भी गया है कि भूमि संवत् 2038 तक वादीगण/अपीलांट के पिता के नाम दर्ज हुई है तथा वर्तमान में वादी के मौखिक बयानों से वादी का कब्जा काश्त होना स्पष्ट जाहिर है। वादग्रस्त भूमि कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज रहीं हो या किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से आराजीराज दर्ज की गई हो इसका कोई उल्लेख पत्रावली पर उपलब्ध

नहीं हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तमाम तनकीयात अपीलांट/वादीगण के पक्ष में साबित होने के बावजूद भी परीक्षण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा किये जाने बजाय अपीलांट/वादीगण को गैर खातेदार धोषित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि अपीलांट तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों से वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार साबित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे व अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—04—2001 के विरूद्व अपील दिनांक 11—01—2013 को पेश की गई है। जोकि करीब 13 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के बारे में कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अपीलांट/वादी को वादग्रस्त भूमि का गैरखातेदार धोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—04—2001 के विरूद्व अपील दिनांक 11—01—2013 को पेश की गई है। अपीलांट एक अनपढ़ तथा गांव से दूर परम्परागत् ढाणियों में रहने वाले पशुपालक कृषक है। उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि खातेदारी व गैर खातेदारी श्रेणी का क्या अन्तर है। अपीलाधीन आदेश की इससे पहले कोई अपील होने का भी राज पैरोकार ने कोई उल्लेख नहीं किया। जाहिर है कि अपीलांट को

आदेश के प्रभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के बाद अपील पेश करने में कोई विलम्ब नहीं किया। अतः विलम्ब का शमन किया गया।

परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में शामिल जमाबन्दी संवत् 2018 में कृषक के कॉलम में अलादिया वल्द नूरमोहम्मद को खसरा नम्बर 277 के 50 बीघा रकबे का काश्तकार होने का उल्लेख है। कॉलम नम्बर 10 में लगान की राशि का भी उल्लेख है। गिरदावरी संवत् 2023 में नये खसरा नम्बर 89/1 के 50 बीघा 10 बिस्वा रकबे को आराजीराज व इसी कॉलम में अलादिया पुत्र नूरमोहम्मद को काश्तकार दर्शाया गया है। गवार की फसल का भी उल्लेख है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर साबित है कि अलादिया सन् 1961 से पहले से ही रिकार्डेड खातेदार रहा है। भू–प्रबन्ध या अन्य किसी प्राधिकारी को उक्त रकबे को आराजीराज दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था।

इसी दौरान चकबन्दी की गई तो उपनिवेशन विभाग के अधिकारियों का दायित्व था कि मौरूसी खातेदार के हितों को प्रभावित किये बिना रिकार्ड अपडेट करते। परीक्षण न्यायालय ने उक्त स्थिति को स्वीकार करते हुए अलादिया के पुत्र मसूक(अपीलांट) का दावा डिक्री करने में कोई भूल नहीं की है, परन्तु काश्तकार की श्रेणी खातेदार के बजाय गैर खातेदार धोषित करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। गांव का रकबा राजस्व से उपनिवेशन में तब्दील होने के उक्त मौरूसी खातेदारों की खातेदारी स्थिति बहाल रखने के लिये काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए में विशिष्ट प्रावधान किया गया है। अपीलांट/वादी उक्त प्रावधान के तहत भी खातेदार धोषित होने का हकदार था। परीक्षण न्यायालय का दायित्व था कि अधिनियम की धारा 209 के तहत आनुषंगिक अनुतोष प्रदान करते। परीक्षण न्यायालय ने टीनेन्सी एक्ट के उक्त प्रावधानों पर गौर किये बिना वादी/अपीलांट को गैर खातेदार धोषित करने में भूल की है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—04—2001 के अंतिम पैरा में चक 10 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 103/40 के किला नम्बर 1, 6 ता 25, मुरब्बा नम्बर 103/31 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 24, 25, मुरब्बा नम्बर 103/32 के किला नम्बर 5, 6, 15, मुरब्बा नम्बर 103/48 के किला नम्बर 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 50 बीघा पर वादी को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर